Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **थानाधिकारी कोटखावदा आयुक्तालय जयपुर शहर (दक्षिण) 50 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *21 फरवरी, सोमवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर एसआईयू इकाई द्वारा आज कोटखावदा जिला जयपुर में कार्यवाही करते हुये जगदीश तंवर, पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी कोटखावदा जिला जयपुर शहर (दक्षिण) को परिवादी से 50 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर एसआईयू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध दर्ज प्रकरण में उसकी गिरफ्तारी के वक्त उससे रिश्वत की मांग की गई तथा अब उसके अन्य परिजनों की गिरफ्तारी होने पर उनका पुलिस रिमाण्ड़ नही लेने तथा तुरन्त न्यायालय में पेश करने की एवज में जगदीश तंवर, पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी कोटखावदा जिला जयपुर द्वारा 50 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की जयपुर एसआईयू इकाई के **अति. पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर **श्री कमल नयन उप अधीक्षक पुलिस** मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये जगदीश तंवर पुत्र भंवरलाल निवासी 113/6 विजयपथ, मानसरोवर जयपुर, हाल पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना कोटखावदा आयुक्तालय जयपुर शहर (दक्षिण) को परिवादी से 50 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।